पत्रांक 177 दिनांक — 25/1/16

(5)

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

एफ०एफ०पी० भवन, एच०ई०सी०कैम्पस, धुर्वा, राँची।

।। आम सूचना ।।

वाहनों में गति नियंत्रक (Speed Governor) लगाये जाने के संबंध में।

एतद् द्वारा सभी वाहन स्वामियों एवं गति नियंत्रक यंत्र विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के आलोक में सभी अधिसूचित परिवहन यानों में गति नियंत्रक (Speed Governor) लगाया जाना अनिवार्य है।

अधिसूचित परिवहन यान के अन्तर्गत निम्नलिखित गति सीमा के गति नियंत्रक लगाये जाने है–

(i) 40 कि.मी. प्रति घंटा– सभी स्कूल बस।

(ii) 60 कि.मी. प्रति घंटा– डम्पर, टैंकर, जो परिसंकटमय माल का वहन करते है।

(iii) 80 कि.मी. प्रति घंटा– अन्य सभी परिवहन यान जिन्हें छूट प्रदत्त नहीं है।

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत निम्न परिवहन यान को गति नियंत्रक (Speed Governor) लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् इन्हें छूट प्रदान की गई है–

(i) दोपहिया ;

(ii) तिपहिया ;

(iii) चौपहिया साईकिल ;

(iv) यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चारपहिया जिसके बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ–साथ आठ यात्रियों से अधिक नहीं है 'एम 1 प्रवर्ग' और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ;

(v) अग्निशामक ;

(vi) एम्बुलेंस ;

(vii) पुलिस यान ;

(viii) ऐसे यान जिन्हें केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणीकृत किया गया है कि, उनकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक नहीं है।

अधिसूचित परिवहन यानों को गति नियंत्रक यंत्र विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी के प्रक्रम पर गति नियंत्रक यंत्र से सुसज्जित किया जाना अनिवार्य होगा, जो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत अधिकृत परीक्षण अभिकरण **ARAI, CIRT, ICAT, & VRDE** से अनुमोदित होगा।

वाहन स्वामी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वाहन के अनुरूप गति नियंत्रक यंत्र अधिकृत परीक्षण अभिकरण से अनुमोदित है। साथ ही विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवहन यान के अनुरुप निर्धारित गति नियंत्रक यंत्र जो अधिकृत परीक्षण अभिकरण से अनुमोदित हो, केवल उसे ही वाहनों में लगाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में परिवहन यान के प्रकार को नजरअंदाज करते हुए गलत गति नियंत्रक यंत्र कदापि नहीं लगाया जाएगा।

तदनुसार दिनांक–01.02.2017 से बिना गति नियंत्रक के अधिसूचित परिचालित परिवहन यानों के परिचालन को अनधिकृत/अवैध परिचालन माना जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

गति नियंत्रक (Speed Governor) से संबंधित आवश्यक जानकारी परिवहन विभाग के वेबसाईट–www.jharkhand.gov.in/transport पर अवलोकन किया जा सकता है।

25/1/17

उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक–परि०आ०–278/2016 177 राँची, दिनांक– 25/1/17

प्रतिलिपि– 1. प्रेषण शाखा को सूचनापट्ट एवं वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, /सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त आम सूचना को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

25/1/17

उप सचिव
परिवहन विभाग।